न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास अलवर (राज0)

अध्याशाषित :— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दावा सं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
83/22	25.02.22	04.05.22

<u>उनवान</u>

1. एस0एस0 प्रोपमार्ट प्रा0 लि0 101 भाई परमानन्द कॉलोनी किंग्सवे कैम्प देहली जरिये अधिकृत जसवंत सिंह पुत्र श्री जगराम जाति गुर्जर निवासी मिलकपुर तहसील तिजारा जिला अलवर ।
2. .औरम प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 बी0 1/12 बसन्त विहार नई दिल्ली जरिये वैशाली जैन पत्नी पुनीत जैन निवासी बी0 1/12 बसन्त विहार नई दिल्ली ।

:—वादीगण

<u>बनाम</u>

1. मीरा पत्नी महेन्द्र कुमार
2. रूचि पुत्री महेन्द्र कुमार
3. सुभम पुत्र महेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
4. राज0 सरकार जिरये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, किशनगढबास जिला अलवर ।

:—असल प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थितिः—1. वादी की ओर से श्री कुर्शेद अहमद।
प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

निर्णय

दावे में सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:—

वकील वादी ने वाद मे पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा संख्या हाल 1189 रका 0.04हे0, 1190 रकबा 0.2900हे0, 1191 रकबा 0.08हे0, 1192 रकबा 0.11हे0 कुल किता 4 रकबा 0.5200हे0, में 45/48 भाग यानि 15/16 भाग वाके ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढबास जिला अलवर में स्थित है जो प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी है।प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 आये दिन मिन वादी के सामलाती रिकोडेड कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते रहते है ऐसी सूरत में अब मिन वादी का प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 के साथ सामलात में काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करना संभव नही रहा है । दिनांक 2.2.22 को जब वादी ने असल प्रतिवादीगण से तकासमा आराजी कराने के लिये कहा तो असल प्रतिवादीगण ने तकासमा कराने से साफ मना कर दिया इसलिए मिन वादी आराजी का तकासमा बाई मिटस एण्ड बाउन्स कराकर अलग से कुरेजात कायम कराने व अलग से लगान खाता कायम कराने व अलग से दखल प्राप्त करने का अधिकारी है । जिसके लिए दावा तकासमा करना लाजिम आया है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई वकील वादी को सुना जाकर उक्त वाद दिनांक 20.04.22 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास से कुर्रे कायम कराये जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब की गई ।

तहसीलदार किशनगढबास ने अपने पत्र क0 2022/422 दिनांक 04.05.22 से कुर्रे कायमी रिपोर्ट न्यायालय हाजा को भिजवाई । कुर्रे कायमी रिपोर्ट आने पर शामिल पत्रावली की जाकर वकील वादी की बहस सुनी गई। हमने वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया ।

तहसीलदार किशनगढबास द्वारा भिजवाईगई कुर्रे कायमी रिपोर्ट अनुसार वाद वादी बाबत तकासमा आराजी फाईनल डिक्री किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतः आदेश है कि :-

वाद वादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादी के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगी।

क्र0सं0	नाम खातेदार	ख0नं0 रकबा	किस्म	लगान
1.	ओरम प्रोजेक्ट प्रा0लि0 की 1/12 बसन्त विहार नई दिल्ली जर्ये सागर चन्द गर्ग पुत्र एम0एल0 महाजन सा0 36 मॉडल बस्ती नई दिल्ली हिस्सा 1733/4900, एस.एस. प्रोपमार्ट प्रा.लि. 101 भाई परमानन्द कॉलोनी किंग्सवे कैम्प टेहली जर्ये अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता श्री जसवन्त सिंह पुत्र जगराम गुर्जर सा0 मिलकपुर गूर्जर तह0 तिजारा हि0 3167/4900 खातेदार	1190/0.29, 1191/0.08, 1192/011, 1189/1/0.01 किता 4 रकबा 0.49	बारानीA बारानीA बारानीA बारानीA	2.52 0.70 0.96 0.087
2.	मीरा पत्नी व रूची पुत्री व शुभम पुत्र महेन्द्र कुमार जाति महाजन सा0 बम्बोरा खातेदार	1189/2/0.03	बारानीA	0.263

तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में खाते व लगान पृथक पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। प्रस्तावित नक्शा डिक्री का जुज रहेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

ओमप्रकाश सहारण

उपखण्ड अधिकारी

किशनगढबास(अलवर)